



प्रेसनोट, दिनांक 21.11.2025

थाना अचलगंज,
जनपद उन्नाव

पत्नी की हत्या करने वाला अभियुक्त मय आला कत्ल एक अदद फावड़ा के साथ गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अचलगंज पुलिस द्वारा पत्नी की हत्या करने वाले अभियुक्त को मय आला कत्ल एक अदद फावड़ा के साथ गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 20.11.2025 को समय करीब 17.00 बजे थाना अचलगंज पुलिस को सूचना मिली थी कि होरीलाल पुत्र शंकर प्रसाद लोध उम्र करीब 45 वर्ष नि० त्रिभुवनपुर थाना अचलगंज जनपद उन्नाव द्वारा घरेलू कलह के चलते अपने खेत में अपनी पत्नी शांती देवी उम्र करीब 40 वर्ष के सिर पर फावड़े से वार उसकी हत्या कर दी थी जिसके संबंध में थाना अचलगंज पर मु०अ०सं० 644/2025 धारा 103(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया। दिनांक 21.11.2025 को थाना अचलगंज पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित नामित अभियुक्त होरीलाल उपरोक्त को पेट्रोल पंप के पास से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त उपरोक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त किये गये आलाकत्ल एक अदद फावड़ा को भी बरामद किया गया है। आलाकत्ल की बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 238 बीएनएस की बढोत्तरी करते हुये अभियुक्त होरीलाल उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 103(1)/238 बीएनएस में माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

होरीलाल पुत्र स्व० शंकर प्रसाद निवासी ग्राम त्रिभानपुर थाना अचलगंज उन्नाव उम्र करीब 45 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

आलाकत्तल एक अदद फावड़ा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजेश पाठक
2. अपराध निरीक्षक श्री इरशाद त्यागी
3. उ०नि० श्री जयप्रकाश
4. का० प्रवीण चौरसिया
5. का० ओमनारायण
6. का० अमरजीत
7. का० श्रवण कुमार





प्रेसनोट, दिनांक 21.11.2025
थाना सफीपुर, जनपद उन्नाव

दो वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सफीपुर पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 21.11.2025 को उ0नि0 श्री अशोक कुमार सरोज मय हमराह पुलिस फोर्स द्वारा वारंटी अभियुक्तगण 1.पिन्टू पुत्र बेचेलाल निवासी ग्राम सकहन राजपूतान थाना सफीपुर जनपद उन्नाव उम्र करीब 30 वर्ष सम्बन्धित परिवार सं0 2453/23 धारा 147/451/323/504/506/427 भादवि 2.राजा पुत्र रामप्रसाद निवासी ग्राम सकहन राजपूतान थाना सफीपुर जनपद उन्नाव उम्र करीब 24 वर्ष सम्बन्धित केस नं0 6159/22 धारा 323/504/352 भादवि अ0सं0 352/18 को घर के बाहर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण नाम व पता-

- 1.पिन्टू पुत्र बेचेलाल निवासी ग्राम सकहन राजपूतान थाना सफीपुर जनपद उन्नाव उम्र 30 वर्ष
- 2.राजा पुत्र रामप्रसाद निवासी ग्राम सकहन राजपूतान थाना सफीपुर जनपद उन्नाव उम्र 24 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 अशोक कुमार सरोज
हे0का0 नीरज कुमार
का0 अमित यादव





प्रेसनोट, दिनांक 21.11.2025
थाना पुरवा, जनपद उन्नाव

दो वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना पुरवा पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 21.11.2025 को थाना पुरवा पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तगण 1.सोनू सिंह पुत्र राजू सिंह निवासी ग्राम सुरजापुर थाना पुरवा जनपद उन्नाव सम्बन्धित परिवाद सं0 1066/2012 अपराध सं0 1137/11 धारा 41/411/414/467/468/413 भादवि 2.चिरंजीव पुत्र भगाने निवासी शीलगंज थाना पुरवा जनपद उन्नाव सम्बन्धित वाद सं0 03/08 धारा 323/504/506/452/354 भादवि को घर के बाहर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण नाम व पता-

सोनू सिंह पुत्र राजू सिंह निवासी ग्राम सुरजापुर थाना पुरवा जनपद उन्नाव
चिरंजीव पुत्र भगाने निवासी शीलगंज थाना पुरवा जनपद उन्नाव

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 गंगाप्रसाद

उ0नि0 सियाराम चौरसिया

का0 सोनू कुमार

का0 हिमांशु कुमार